बिहार में अब शहीद पुलिसकर्मियों के परिवार को मिलेगा 25 लाख रुपए का मुआवज़ा

चर्चा में क्यों?

21 अक्तूबर, 2023 को बिहार पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) आरएस भट्टी ने पटना स्थित विशेष सशस्त्र पुलिस (बी-सैप 5) परिसर में पुलिस संस्मरण दिवस कार्यक्रम में बताया कि राज्य के शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों को अब 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इससे पहले मुआवजे की राशि महज़ दो लाख रुपए थी।

प्रमुख बिंदु

- यह निर्णय पुलिसकर्मियों के कल्याण के लिये लिया गया है और जल्द-से-जल्द यह राशि शहीद के आश्रितों को उपलब्ध करा दी जाए, ताकि उनकी समस्याओं का समाधान हो सके।
- पुलिसकर्मियों द्वारा आत्महत्या कर लिये जाने की स्थिति में यह राशि देय नहीं होगी। भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के साथ ही बिहार पुलिस सेवा के अधिकारियों को भी इस तरह का लाभ मिल सकेगा। पुलिस मुख्यालय की पहल पर करीब लाखों पुलिसकर्मियों को इस लाभ से जोड़ा गया है।
- छापेमारी के दौरान होने वाली मौत पर भी अनुदान की यह राशि दी जाएगी। वहीं, उग्रवादी मुठभेड़, आपराधिक मुठभेड़, बारूदी सुरंग, नक्सली हमला, दंगा, दुर्घटना के दौरान मौत या इन घटनाओं में घायल होने के बाद इलाज के दौरान होने वाली मौत के मामलों में भी यह राशि दी जाएगी।
- डीजीपी ने बिहार पुलिस की आवासन और ट्रांसफर-पोस्टिंग नीति में बदलाव की घोषणा भी की है। बिहार पुलिस के पदाधिकारी व कर्मियों के निजी जीवन और कर्त्तव्य के बीच संतुलन बनाए रखने को लेकर जल्द ही यह बदलाव पूरे कर लिये जाएंगे।
- राज्य सरकार एक विधिवत आवासन नीति पर काम कर रही है, ताकि जो भी पदाधिकारी-कर्मी ड्यूटी कर रहे हैं, उनके परिवार-बच्चे एक स्थान पर रह कर पढ़ाई कर सकें और सामान्य जीवन जी सकें।
- बिहार पुलिस का दूसरा ट्रांसफर पोस्टिंग की नीति में भी बदलाव किया जा रहा है, ताकि आपकी परिवार के प्रति निजी जिम्मेदारियाँ और कर्त्तव्य के प्रति ज़िम्मेवारी में संतुलन बना रहे। महिलाओं की संख्या भी जो एक-तिहाई होने जा रही है, उसको देखते हुए भी नीति में बदलाव आवश्यक है।
- विदित है कि हर वर्ष 21 अक्तूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है।
- 21 अक्तूबर 1959 को भारत-चीन सीमा पर लद्दाख की बर्फीली ऊँचाइयों पर केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल की एक टेकरी पर चीनी आक्रमणकारियों द्वारा किये गए हमले में 10 बहादुर सैनिक शहीद हो गए थे। इसके बाद 1961 में पुलिस महानिरीक्षकों के सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि हर साल 21 अक्तूबर को पूरे देश में पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाएगा, तभी से यह परंपरा चली आ रही है।

//

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/now-the-families-of-martyred-policemen-in-bihar-will-get-a-compensation-of-rs-25-lakh